कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
डॉ. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय रतलाम
सैलाना रोड़, ग्राम बंजली, रतलाम (म0प्र)
ईमेल :- deanratlam@gmail.com वेबसाईट :- www.gmcratlam.org कार्यालय दूरभाष नंबर :- 07412-284225

DONATE ORGAN – SAVE LIFE
अंगदान करें – जीवन बचाएँ

क्रमांक : / 8114 / स्टेनो / जी.एम.सी. / 2024 रतलाम, दिनांक :- 31/8/24

/ / आदेश / /

अस्पताल प्रशासन, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग सतपुड़ा भवन, भोपाल के पत्र क्रमांक / अस्प–प्रशा / सेल–3 / 2024 / एफ–805 / 1358 भोपाल दिनांक 29.08.2024 के परिपालन में डॉ. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय, रतलाम हेतु "स्वास्थ्य संस्थान सुरक्षा समिति" का गठन किया जाता है। उक्त समिति के सदस्य निम्नानुसार होगें--

सदस्य प्रशासनिक अधिकारी	सदस्य वरिष्ठ चिकित्सक / अधिकारी / कर्मचारी
आयुक्त, उज्जैन संभाग उज्जैन	डॉ. अनिता मूथा, अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
पुलिस महानिरीक्षक, उज्जैन जोन	डॉ. प्रदीप मिश्रा, संयुक्त संचालक एवं अस्पताल अधीक्षक, रतलाम
कलेक्टर, जिला रतलाम	डॉ. मधुबाला गुबरेले, सह–प्राध्यापक, नेत्र रोग विभाग
पुलिस अधीक्षक, रतलाम	श्रीमती वर्षा मसीह, मैट्रन
आयुक्त, नगर निगम रतलाम	
मुख्य अभियंता–लोक निर्माण विभाग	

Anita Mutha
डॉ. अनिता मूथा
मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
डॉ.ल.ना.पा.शा.स्व.चि.महा.रतलाम (म.प्र.)

DEAN & CEO Dr. L.N.P. Govt. Medical College Ratlam (M.P.)

क्रमांक : 8115 – 33 / स्टेनो / जी.एम.सी. / 2024 रतलाम, दिनांक :- 31/8/24

प्रतिलिपि:–

1. अपर प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, ग्रह विभाग, वल्लभ भवन म.प्र.।
2. पुलिस महानिदेशक, मध्यप्रदेश।
3. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, म.प्र.।
4. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग, वल्लभ भवन म.प्र.।
5. सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग म.प्र.।
6. आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
7. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग म.प्र.।
8. मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, म.प्र.।
9. संभागायुक्त, उज्जैन संभाग उज्जैन।
10. संचालक, अस्पताल प्रशासन लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग म.प्र.।

अस्पताल प्रशासन, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग

सतपुड़ा भवन, भोपाल, मध्य प्रदेश- 462004

ई-मेल- ha.dhs@mp.gov.in

क्रमांक/अस्प-प्रशा/सेल- 3 /2024 /एफ - 805/1358 भोपाल, दिनांक 29/08 /2024

प्रति,

1. समस्त अधिष्ठाता, शासकीय चिकित्सा शिक्षा महाविद्यालय, मध्य प्रदेश
2. समस्त क्षेत्रीय संचालक, संभागीय स्वास्थ्य सेवायें, मध्य प्रदेश।
3. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, मध्य प्रदेश।
4. समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, मध्य प्रदेश।
5. अस्पताल अधीक्षक (i) डॉ. कैलाश नाथ काटजू चिकित्सालय, भोपाल,
   (ii) सिविल अस्पताल- बैरागढ़, भोपाल,
   (iii) श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविल अस्पताल इटारसी, होशंगाबाद,
   (iv) रानी दुर्गावती महिला चिकित्सालय - जबलपुर, मध्य प्रदेश

विषय- मध्य प्रदेश शासन अंतर्गत संचालित स्वास्थ्य संस्थाओं में सुरक्षा उपायों के तत्काल कार्यान्वयन हेतु स्थानीय "स्वास्थ्य संस्थान सुरक्षा समिति" और "हिंसा रोकथाम समिति" का गठन किए जाने के संबंध में।

संदर्भ- 01. भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, के अर्ध शासकीय पत्र D.O No.01/ SCI/ SMWR/ DGHS/ 2024 dated 23rd August 2024

02. अस्पताल प्रशासन शाखा, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग का पत्र क्र 1349 भोपाल, दिनांक 27.08.2024

03. अस्पताल प्रशासन शाखा, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग का पत्र क्र 1351 भोपाल, दिनांक 27.08.2024

//0//

उपरोक्त विषयांतर्गत एवं संदर्भित पत्रानुसार लेख है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, कोलकाता में हुई दुखद घटना के संबंध में स्वतः संज्ञान लेते हुए, Writ (CRL) No. 2/2024 में दिनांक 20.08.2024 और 22.08.2024 को आदेश जारी किए हैं। दिनांक 22.08.2024 को दिए गए आदेश में, माननीय न्यायालय ने चिकित्सा कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुक्रम में स्वास्थ्य संस्थाओं में समस्त चिकित्सा कर्मियों के लिए एक सुरक्षित कार्य वातावरण सुनिश्चित करने के लिए समस्त चिकित्सालयों में वहाँ के वरिष्ठ चिकित्सकों और स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों के माध्यम से एक "स्वास्थ्य संस्थान सुरक्षा समिति" और "हिंसा रोकथाम समिति" का गठन किया जाना है।

उपरोक्तानुसार समितियों के गठन हेतु उक्त में निम्नलिखित अधिकारियों/ कर्मचारियों को सम्मिलित किया जाना सुनिश्चित करें –

1. स्वास्थ्य संस्थान सुरक्षा समिति का प्रारूप-

क्र	चिकित्सा संस्था का प्रकार/नाम	सदस्य प्रशासनिक अधिकारी	सदस्य वरिष्ठ चिकित्सक/अधिकारी/कर्मचारी
1.	शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय	• संभाग आयुक्त • पुलिस महानिरीक्षक/ पुलिस आयुक्त • जिला कलेक्टर	• अधिष्ठाता चिकित्सा महाविद्यालय • अधीक्षक चिकित्सा महाविद्यालय • वरिष्ठ महिला चिकित्सक/फेकल्टी

		• पुलिस अधीक्षक/ पुलिस उपायुक्त • नगर निगम आयुक्त/ मुख्य नगर पालिका अधिकारी • मुख्य अभियंता – लोक निर्माण विभाग	• वरिष्ठतम मैट्रन
2.	**जिला चिकित्सालय**	• जिला कलेक्टर • पुलिस अधीक्षक/ पुलिस उपायुक्त • नगर निगम आयुक्त/ मुख्य नगर पालिका अधिकारी • कार्यपालन अभियंता - लोक निर्माण विभाग	• मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी • सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक • वरिष्ठ महिला चिकित्सक • वरिष्ठतम मैट्रन
3.	**सिविल अस्पताल**	• अनुविभागीय दण्डाधिकारी (एस.डी.एम) • अनुविभागीय अधिकारी पुलिस (एस.डी.ओ.पी.) • मुख्य नगरपालिका अधिकारी / सचिव ग्राम पंचायत • सहायक अभियंता - लोक निर्माण विभाग	• मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी • अस्पताल अधीक्षक/प्रभारी चिकित्सा अधिकारी • वरिष्ठ महिला चिकित्सक • स्टाफ नर्स
4.	**सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र**	• अनुविभागीय दण्डाधिकारी (एस.डी.एम) • अनुविभागीय अधिकारी पुलिस (एस.डी.ओ.पी.) • मुख्य नगरपालिका अधिकारी / सचिव ग्राम पंचायत • सहायक अभियंता - लोक निर्माण विभाग	• मुख्य खण्ड चिकित्सा अधिकारी • वरिष्ठ महिला चिकित्सक • स्टाफ नर्स (महिला चिकित्सक न होने की स्थिति में 02 स्टाफ नर्स को सम्मिलित किया जाये)
5.	**प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र**	• तहसीलदार • थाना प्रभारी (TI) • मुख्य नगरपालिका अधिकारी (CMO) / सचिव ग्राम पंचायत • उपयंत्री - लोक निर्माण विभाग	• प्रभारी चिकित्सा अधिकारी • वरिष्ठ महिला चिकित्सक • स्टाफ नर्स (महिला चिकित्सक न होने की स्थिति में 02 स्टाफ नर्स को सम्मिलित किया जाये)

2. संस्थागत हिंसा रोकथाम समिति का प्रारूप-

क्र	चिकित्सा संस्था का प्रकार/नाम	अध्यक्ष	सदस्य वरिष्ठ चिकित्सक/अधिकारी/कर्मचारी
1.	**शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय**	• अधिष्ठाता चिकित्सा महाविद्यालय	• अधीक्षक चिकित्सा महाविद्यालय • वरिष्ठ महिला चिकित्सक/ प्राध्यापक • महिला सीनियर रेसिडेंट • जूनियर रेसिडेंट (02) • वरिष्ठ मैट्रन • नर्सिंग ऑफिसर
2.	**जिला चिकित्सालय**	• मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	• सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक • आर.एम.ओ • सहायक प्रबंधक • वरिष्ठ महिला चिकित्सक

			• वरिष्ठ मैट्रन • नर्सिंग ऑफिसर • 02 अन्य महिला स्टाफ (फार्मेसी, स्टोर, लैब, कार्यालय)
3.	**सिविल अस्पताल**	• मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	• अस्पताल अधीक्षक/ प्रभारी चिकित्सा अधिकारी • वरिष्ठ महिला चिकित्सक • नर्सिंग ऑफिसर • 02 अन्य महिला स्टाफ (फार्मेसी, स्टोर, लैब, कार्यालय)
4.	**सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र**	• मुख्य खण्ड चिकित्सा अधिकारी	• वरिष्ठ महिला चिकित्सक • नर्सिंग ऑफिसर (महिला चिकित्सक न होने की स्थिति में 02 नर्सिंग ऑफिसर को सम्मिलित किया जाये) • 02 अन्य महिला स्टाफ (फार्मेसी, स्टोर, लैब, कार्यालय)
5.	**प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र**	• मुख्य खण्ड चिकित्सा अधिकारी	• प्रभारी चिकित्सा अधिकारी • वरिष्ठ महिला चिकित्सक • नर्सिंग ऑफिसर (महिला चिकित्सक न होने की स्थिति में 02 नर्सिंग ऑफिसर को सम्मिलित किया जाये) • 01 अन्य महिला स्टाफ (फार्मेसी, स्टोर, लैब, कार्यालय)

उपरोक्तानुसार गठित समितियों द्वारा नियमित रूप से बैठक का आयोजन कर (स्वास्थ्य संस्थान सुरक्षा समिति द्वारा प्रत्येक माह में एक बार एवं हिंसा रोकथाम समिति द्वारा प्रत्येक पखवाड़ा), स्वास्थ्य संस्थाओं में कार्यरत स्वास्थ्य कर्मियों की व्यापक सुरक्षा उपायों की योजना बनाने संबंधी गतिविधि और उन्हें लागू करने के उपरांत उनका नियमित पालन किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। हिंसा रोकथाम समिति, स्वास्थ्य संस्थान सुरक्षा समिति के मार्गदर्शन एवं निर्देशानुसार कार्य करेगी एवं गठित दोनों समितियों के कार्यदायित्व निम्नानुसार रहेंगे-

1. स्वास्थ्य संस्थान सुरक्षा समिति की भूमिकाएँ एवं जिम्मेदारियाँ -

- स्वास्थ्य संस्थान में समग्र सुरक्षा नीति का निर्माण कर उसे प्रभावी रूप से लागू करेगी। इसमें विभिन्न सुरक्षा पहलुओं को सम्मिलित करने वाले मानक संचालन प्रक्रियाएँ (SOPs) विकसित करना समाहित रहेगा।
- स्वास्थ्य संस्थान परिसर में सुरक्षा जोखिमों का नियमित मूल्यांकन कर, सभी संभावित खतरे, जैसे कि अनाधिकृत प्रवेश, चोरी, और हिंसक घटनाओं की संभावनाओं की पहचान कर, उक्त का समाधान करेगी।
- सी.सी.टी.वी. कैमरों, प्रवेश नियंत्रण प्रणालियों और सुरक्षा कर्मियों की व्यापक उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ सुरक्षा उपायों की निगरानी एवं सभी सुरक्षा उपकरणों की निरंतर क्रियाशीलता सुनिश्चित करेगी।
- स्वास्थ्य संस्थाओं में सी.सी.टी.वी. कैमरों के माध्यम से संपूर्ण संस्थान एवं परिसर की 24*7 निगरानी सुनिश्चित किए जाने हेतु समस्त Blind Spots का चिन्हीकरण कर नवीन सी.सी.टी.वी. कैमरे इत्यादि की स्थापना एवं केंद्रीय कंट्रोल रूम संचालित किया जाना सुनिश्चित करेगी।

- आपातकालीन स्थितियों जैसे कि हिंसक भीड़ इत्यादि घटनाओं के लिए प्रतिक्रिया योजना विकसित करने के साथ उसके नियमित अभ्यास (मॉक ड्रिल) का आयोजन करेगी।
- पुलिस विभाग, जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर, समस्त सुरक्षा संबंधित गतिविधियाँ का कुशलता से संचालन करने हेतु स्वास्थ्य संस्थानों को निर्देशित करेगी।
- स्वास्थ्य संस्थान के कर्मचारियों और जनसमुदाय के लिए सुरक्षा जागरूकता अभियान आयोजित करेगी।
- सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित किए जाने हेतु नियमित सुरक्षा ऑडिट और निरीक्षण कर, ऑडिट/ निरीक्षण रिपोर्ट नियमित अंतराल में वरिष्ठ कार्यालय को प्रेषित करेगी ।
- स्वास्थ्य संस्थान परिसर के भीतर और आसपास की सुरक्षा प्रणालियों की स्थिति का नियमित मूल्यांकन करेगी एवं संस्था परिसर में दृष्टिगत अतिक्रमण से उत्पन्न होने वाले संभावित ख़तरों की पहचान कर, उक्त के निराकरण हेतु कार्यवाही करेगी।
- स्वास्थ्य कर्मचारियों/ अधिकारियों और मरीजों से सुरक्षा संबंधित शिकायतों को उचित रूप से दर्ज कर उनका ससमय निराकरण करेगी।
- स्वास्थ्य संस्थान सुरक्षा समिति, नियमित बैठकें (प्रत्येक माह) आयोजित करेगी, जिसमें सभी संबंधित सदस्यों के साथ सुरक्षा स्थिति की समीक्षा एवं आवश्यकतानुसार सुधारात्मक कार्यवाही की योजना बनाना एवं उसका पालन कराया जाना समिति की बैठक में निहित होगा।
- वह स्वास्थ्य संस्थाएँ जहां रोगियों एवं उनके परिजनों की दैनिक आवाजाही (Foot Fall) अधिक है, उन स्वास्थ्य संस्थाओं में निरंतर सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित किए जाने हेतु स्वास्थ्य संस्था परिसर में पुलिस चौकी स्थापित किए जाने की कार्यवाही संपादित करेगी, तथा स्थानीय डायल १०० के माध्यम से परिसर के भीतर सुरक्षा व्यवस्था बनए रखने हेतु नियमित अंतराल में उसके द्वारा पेट्रोलिंग किया जाना एवं संस्था के मुख्य सुरक्षा अधिकारी से नियमित समन्वय किया जाना सुनिश्चित करेगी।
- स्वास्थ्य संस्था में कार्यरत चिकित्सकों एवं अन्य स्टाफ़ की रात्रि क़ालीन ड्यूटी हेतु स्वच्छ, सुरक्षित एवं समीप ड्यूटी रूम (प्रसाधन युक्त) की उपलब्धता सुनिश्चित करेगी।
- समस्त स्वास्थ्य संस्थाओं में आउटसोर्स प्रणाली के माध्यम से कार्यरत मानव संसाधन का डेटाबेस निर्मित कर, उक्त समस्त का सत्यापन संबंधित थाने से कराया जाना एवं उक्त डेटाबेस का नियमित रूप से अद्यतन कराया जाना सुनिश्चित करेगी।
- सभी सुरक्षा संबंधी घटनाओं और उपायों का दस्तावेजीकरण करेगी और उच्च प्रशासनिक अधिकारियों को नियमित रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी एवं उक्त के संबंध में प्राप्त निर्देशानुसार कार्यवाही संपादित करेगी।

2. हिंसा रोकथाम समिति की भूमिकाएँ एवं जिम्मेदारियाँ –

- कार्यस्थल पर हिंसा की घटनाओं की रिपोर्टिंग के लिए एक पारदर्शी और सुलभ प्रणाली विकसित करेगी, जिसके उपयोग से सभी स्वास्थ्य कर्मचारी/ अधिकारी इस प्रक्रिया से भलीभांति परिचित हों और निडर होकर उक्त प्रणाली का उपयोग कर सके।
- कार्यस्थल पर किसी भी प्रकार की हिंसा या हिंसा की धमकी की स्थिति में त्वरित एवं प्रभावी हस्तक्षेप प्रदान कर प्रारंभिक जांच किए जाने के उपरांत आवश्यकतानुसार पुलिस या कानूनी कार्यवाही हेतु, संस्था द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) संबंधित थाने में दर्ज किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

- चिकित्सा संस्थान के सभी महत्वपूर्ण स्थानों पर क़ानूनी प्रावधानों का प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाना सुनिश्चित करेगी।
- तनाव प्रबंधन, संवाद कौशल और हिंसा की स्थितियों को शांति से निपटाने की तकनीकों के संबंध में स्वास्थ्य संस्थानों के कर्मचारियों/ अधिकारियों के लिए नियमित प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करेगी। इस हेतु राज्य स्तर से क्वालिटी शाखा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन/ प्रशिक्षण शाखा, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग से समन्वय स्थापित कर प्रशिक्षण का आयोजन किया जाना सुनिश्चित करेगी।
- हिंसा के पीड़ितों के लिए एक सुरक्षित और गोपनीय सहायता प्रणाली स्थापित करेगी, जिसमे मनोवैज्ञानिक परामर्श, कानूनी सलाह और चिकित्सा सेवाओं तक पहुंच प्रदान करना शामिल रहेगा, जिससे पीड़ितों को संपूर्ण समर्थन प्राप्त हो सके।
- हिंसा की घटनाओं की समीक्षा करेगी और कार्यस्थल सुरक्षा नीतियों में आवश्यक सुधार करते हुए बेहतर रणनीतियों का विकास किए जाने हेतु स्वास्थ्य संस्थान सुरक्षा समिति को प्रस्ताव प्रेषित करेगी।
- स्वास्थ्य संस्थान के भीतर एक सौहार्दपूर्ण और सुरक्षित वातावरण स्थापित किए जाने हेतु स्वास्थ्य संस्थानों एवं उसके आसपास के समुदाय में एक सकारात्मक और सम्मानजनक कार्य संस्कृति को बढ़ावा देगी ।
- स्वास्थ्य संस्थाओं में रोगियों एवं उनके परिजनों की आवाजाही को नियंत्रित किए जाने हेतु अति संवेदनशील/ संवेदनशील स्थानों का चिन्हांकन कर, उक्त में स्थान में प्रवेश हेतु प्रवेश पत्र (Entry Pass) एवं पहचान सत्यापन किया जाना सुनिश्चित करेगी।
- स्वास्थ्य संस्था में कार्यरत समस्त अधिकारियों/ कर्मचारियों हेतु स्थानीय स्तर पर पहचान पत्र (Identity Card) निर्मित कराया जाना एवं परिसर में प्रवेश के दौरान अनिवार्यरत पहचान पत्र धारण कराया जाना सुनिश्चित करेगी।
- रात्रि आपातकालीन स्थिति में महिला चिकित्सकों/ स्टाफ़ को स्वास्थ्य संस्था में बुलाये जाने हेतु वाहन व्यवस्था उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेगी।
- सभी हिंसा की घटनाओं का विस्तृत रिकॉर्ड रखने के साथ उसका संरक्षण करेगी तथा इन घटनाओं के परिणामों और उक्त हेतु की गई सुधारात्मक कार्यवाही की रिपोर्ट जल्द से जल्द तैयार कर स्वास्थ्य संस्थान सुरक्षा समिति को प्रस्तुत करेगी ।

अत: उपरोक्त के संबंध में आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार, स्थानीय "स्वास्थ्य संस्थान सुरक्षा समिति" और "हिंसा रोकथाम समिति" का गठन किया जाना एवं उक्तानुसार की गयी कार्यवाही की जानकारी अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।

29.8.24

(संदीप यादव)
प्रमुख सचिव
मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग

क्रमांक / अस्प प्रशा / सेल-3 / 2024 / 1359 **भोपाल, दिनांक** 29 **/ 08/ 2024**

प्रतिलिपि- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. अपर प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, गृह विभाग, वल्लभ भवन, मध्य प्रदेश।
2. अपर प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, ग्रामीण विकास विभाग, वल्लभ भवन, मध्य प्रदेश।
3. पुलिस महानिदेशक, मध्य प्रदेश।
4. प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग, वल्लभ भवन, मध्य प्रदेश।
5. प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, वल्लभ भवन, मध्य प्रदेश।
6. सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, मध्य प्रदेश।
7. आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, मध्य प्रदेश।
8. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, मध्य प्रदेश।
9. मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मध्य प्रदेश।
10. संभाग आयुक्त, समस्त संभाग मध्य प्रदेश।
11. पुलिस महानिरीक्षक/ पुलिस आयुक्त, समस्त मध्य प्रदेश।
12. उपसचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, मध्य प्रदेश शासन, मध्य प्रदेश।
13. जिला कलेक्टर सह अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति, समस्त मध्य प्रदेश।
14. पुलिस अधीक्षक/ पुलिस उपायुक्त, समस्त मध्य प्रदेश।
15. आयुक्त नगर निगम, समस्त मध्य प्रदेश।

29.8.24

प्रमुख सचिव
मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग